1. उत्तर प्रदेश स्टेट रोड परियोजना–।।

इस परियोजना का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग के अधीन मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग) द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के कोर रोड नेटवर्क की लगभग 3500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों के उच्चीकरण एवं वृहद रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृत है। इस परियोजना अर्थात स्टेट रोड प्रोजेक्ट–II का निष्पादन दो चरणों में किया जा रहा है:–

प्रथम चरण:– 374 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों (4 पैकेजेस्) का उच्चीकरण एवम् 808 कि0मी0 (16 पैकेजेस्) लम्बाई के मार्गों का रख–रखाव।

द्वितीय चरण:–579 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों (7 पैकेजेस्) का उच्चीकरण, 1766 कि0मी0 (32 पैकेजेस्) कि0मी0 लम्बाई के मार्गों का वृहद रखरखाव, 20 कि0मी0 लम्बाई के चार बाईपासों का निर्माण तथा 5 दीर्घ सेतुओं का निर्माण।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 295200.00 लाख (यू0एस0डॉलर 615 मिलियन) है तथा इसमें ऋण का अंश लगभग रू0 234200.00 लाख (यू0एस0 डॉलर 488 मिलियन) है। यह परियोजना अप्रैल, 2003 से प्रभावी हुई थी और इसकी अवधि 5) वर्ष की थी। परियोजना को एक वर्ष का विस्तार स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप परियोजना की समाप्ति तिथि 31 दिसम्बर, 2010 है।

परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत वृहद रखरखाव के 16 पैकेजों में से 15 पैकेजेस् (713 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग) पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 1 पैकेज पर कार्य प्रगति में है। इसी प्रकार प्रथम चरण के अन्तर्गत उच्चीकरण के चार पैकेजेस् में से निम्न तीन मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है–

1. बहराइच–गोंडा–फैजाबाद मार्ग – 109.354 किमी0
2. जौनपुर–मोहम्मदपुर मार्ग – 33.873 किमी0
3. भोगनीपुर–घाटमपुर–चौडगरा मार्ग – 82.296 किमी0

तथा प्रथम चरण के अन्तर्गत उच्चीकरण के चार पैकेजेस् में से निम्न एक मार्ग पर कार्य प्रगति में है–

4. कटरा–जलालाबाद–अल्लाहगंज–बिलग्राम–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग – 171.435 किमी0

निर्माण की अवधि के दौरान यू0एस0 डॉलर के मूल्य में अवमूल्यन के कारण तथा विश्व बैंक के सुझाव पर कार्यहित में डिजाइन में परिवर्तन करने एवं निर्माण सामग्री की लागत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप परियोजना में निम्न संशोधन किये गये:–

1) परियोजना की लागत में लगभग रू0 649 करोड़ की संभावित वृद्धि के समायोजन हेतु परियोजना के द्वितीय चरण में उच्चीकरण हेतु चिन्हित सात मार्गों को वृहद रख–रखाव के स्तर तक सीमित कर दिया गया है।

2) विश्व बैंक के सुझाव पर माधोगंज से बांगरमऊ के 23 किमी0 के हिस्से को उच्चीकरण के कार्य में सम्मिलित कर लिया गया है।

3) निर्माण सामग्री की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप परियोजना की लागत में सम्भावित रू0 400 करोड़ को समायोजित करने के लिये उच्चीकरण पैकेजेज 9, 10 व 11

तथा वृहद रख–रखाव पैकेजेस 39, 40, 41 एवं 53 को परियोजना की परिधि से बाहर कर दिया गया है।

4) तीन वृहद रखरखाव के पैकेजेज आर0एम0सी0 27, 28 व 29 का कार्य अन्य स्त्रोतों से किया जा रहा है तथा आर0एम0सी0 22 व 52: रायबरेली–इलाहाबाद मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने हेतु नोटिफिकेशन हो चुका है। अतः उपरोक्त पैकेजेज भी परियोजना की परिधि से बाहर हो गये है।

अतः अब उपरोक्त संशोधनों के उपरान्त परियोजना में उच्चीकरण हेतु चिन्हित लम्बाई घटकर 408 कि0मी0 रह गई एवं वृहद रखरखाव हेतु चिन्हित लम्बाई घटकर 2149 कि0मी0 व बाईपास की लम्बाई 8 कि0मी0 रह गई है।

परियोजना के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के निम्न मार्गों पर वृहद रख–रखाव का कार्य प्रगति पर हैः–

क्र0 सं0	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)
1.	आर0एम0सी0–10	बछरावां–फतेहपुर मार्ग	72.000
2.	आर0एम0सी0–21	लखनऊ–रायबरेली मार्ग	65.303
3.	आर0एम0सी0–24	रानीगंज–रायबेरली मार्ग	57.000
4.	आर0एम0सी0–32	शारदा सेतु–घाघरा सेतु मार्ग	36.000
5.	आर0एम0सी0–35	शाहजहांपुर–फरूखाबाद मार्ग	49.643
6.	आर0एम0सी0–38	हाथरस–उत्तर प्रदेष सीमा तक	63.500
7.	आर0एम0सी0–44	जगदीशपुर–प्रतापगढ़ मार्ग (0.00 से 40.00 किमी0)	40.000
8.	आर0एम0सी0–45	जगदीशपुर–प्रतापगढ़ मार्ग (40.00 से 78.50 किमी0)	38.500
9.	आर0एम0सी0–47	फतेहपुर–मुत्तौर मार्ग	35.000
10.	आर0एम0सी0–48	मुत्तौर–बांदा मार्ग	41.500
11.	आर0एम0सी0–51	छाता बाजना मार्ग	48.000
12.	यू0पी0जी0–05	पीलीभीत–खुटार मार्ग	72.726
13.	यू0पी0जी0–06	लखनऊ–मोहान–बागरमऊ मार्ग	75.329
14.	यू0पी0जी0–08	आजमगढ मऊ–फेफना मार्ग	115.498
		कुल योग–	809.999

परियोजना के द्वितीय चरण के निम्न मार्गों पर वृहद रख–रखाव का कार्य पूर्ण हो चुका हैः–

क्र0 सं0	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)
1.	आर0एम0सी0–23	फैजाबाद–रानीगंज मार्ग	50.850
2.	आर0एम0सी0–25	मेरठ–बुलन्दषहर मार्ग	55.590
3.	आर0एम0सी0–26	बुलन्दशहर–नरौरा मार्ग	57.627
4.	आर0एम0सी0–30	खुटार–राजागंज मार्ग	42.800
5.	आर0एम0सी0–31	राजागंज–षारदा सेतु मार्ग	38.000
6.	आर0एम0सी0–33	घाघरा सेतु–नानपारा मार्ग	37.000
7.	आर0एम0सी0–34	नानपारा–बहराइच मार्ग	18.600
8.	आर0एम0सी0–36	बदायू–कासगंज मार्ग	57.200
9.	आर0एम0सी0–37	कासगंज–हाथरस मार्ग	63.000

10.	आर0एम0सी0–42	एटा–शिकोहाबाद मार्ग	51.300
11.	आर0एम0सी0–43	मथुरा–नौझील मार्ग	37.440
12.	आर0एम0सी0–46	बेला (प्रतापगढ़)–पट्टी ढकवा मार्ग	46.380
13.	आर0एम0सी0–49	मेरठ–गढ़मुक्तेश्वर मार्ग	42.000
14.	आर0एम0सी0–50	गढ़मुक्तेश्वर–बुलन्दशहर मार्ग	51.000
		कुल योग–	648.787

इसके अतिरिक्त निम्न तीन दीर्घ सेतुओं का कार्य प्रगति में हैः–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	सेतु का नाम
1.	यू0पी0जी0–13	सीतापुर–बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी पर सेतु
2.	यू0पी0जी0–16	छाता–गोमट मार्ग पर यमुना नदी पर सेतु
3.	यू0पी0जी0–17	बदायू–कासगंज मार्ग पर गंगा नदी पर सेतु

परियोजना पर मार्च 2010 तक रू0 2365.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा 2582 किमी0 लम्बाई के मार्गों पर वृहद रखरखाव एवं उच्चीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु इस परियोजना हेतु रू0 112.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध 175 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों के वृहद रखरखाव एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। परियोजना के प्रारम्भ से माह मई 2010 तक रू0 2613. 67 करोड़ के सापेक्ष रू0 2379.95 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। प्रतिपूर्ति योग्य अंश रू 1863.11 करोड़ के सापेक्ष रू 1843.60 करोड़ के दावे स्वीकृत हो चुके हैं।

2. उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट परियोजना–प्रथम

इस परियोजना का कार्यान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जा रहा है। यह परियोजना प्रदेश की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं में आमूल परिवर्तन कर उसे सबल, सक्षम, दक्ष एवं जवाबदेह व्यवस्था के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है। परियोजना का लोकार्पण दिनांक 15.12.2000 को किया गया था। दिनांक 26 जुलाई 2000 से प्रभावी लगभग रू 424.71 करोड़ (पुर्नरीक्षित लागत की विश्व बैंक पोषित, इस परियोजना द्वारा प्रदेश के 28 जनपदों की 117 चिकित्सा ईकाइयों (25 जिला पुरूष चिकित्सालय, 25 जिला महिला चिकित्सालय, 3 संयुक्त चिकित्सालय, 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) का जीर्णोद्धार /निर्माण कर उन्हें मॉडल इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा इकाईयों एवं चिकित्सकों/पैराकर्मियों की क्षमता वृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। परियोजना की मूल समापन तिथि 31 दिसम्बर, 2005 थी, जिसे विश्व बैंक की स्वीकृति के उपरान्त 31, दिसम्बर, 2008 तक विस्तारित किया गया था। परियोजना दिनांक 31.12.2008 को समाप्त हो चुकी है।

माह मार्च, 2009 तक परियोजनान्तर्गत 389.05 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 300.30 करोड़ है, जिसके सापेक्ष 294.80 करोड़ की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जा चुकी है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य :–

1. राज्य में सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापन हेतु नीतिगत विषयों में विश्लेषण एवं सुधार किये जाने हेतु राज्य की क्षमता का विकास।
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं मानव संसाधन विकास के लिए सहयोग प्रदान करना।
3. आवश्यकता आधारित योजना तथा प्रमाणक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन हेतु जनपदों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में कुछ अभिनव प्रयोग दर्शाये जाना ताकि उन अभिनव प्रयोगों के सफलता के आधार पर उन्हें राज्य में बढ़ाया जा सके।
5. गरीबों को लक्षित कर अभिनव प्रयोगों का सृजन तथा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु सकारात्मक प्रयास।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में निहित नयी दिशाओं के क्रियान्वयन हेतु परियोजना द्वारा माडल्स के प्रारम्भिक प्रयोगों में सहयोग प्रदान करना।
7. नीतिगत विकास, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता का क्रियान्वयन।
8. सफल प्रयोगों के सृजन हेतु पायलट परियोजनाओं का सृजन एवं क्रियान्वयन।
9. वर्तमान परियोजना की उन गतिविधियों का जारी रखना जिनका स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभावशाली सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परियोजना की अब तक की प्रमुख उपलब्धियॉ निम्न हैं :–

❖ प्रदेश की 117 चिकित्सा इकाईयों के जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसमें से 10 इकाइयों पर अब सिविल कार्य नहीं किया जाना है। समस्त 107 इकाईयों का निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

❖ परियोजना द्वारा 250 नये एम्बुलेन्स चयनित, 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। प्रदेश की 117 चिकित्सा ईकाइयों को 354 कम्प्यूटर एवं विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके है।

❖ 'वन टाइम रिपेयर योजना' के अन्तर्गत परियोजना द्वारा आच्छादित 117 चिकित्सा इकाईयों पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कार्यशील उपकरणों एवं फर्नीचर के रिपेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

❖ परियोजना द्वारा आच्छादित चिकित्सा ईकाइयों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिशिचित करने के लिये परियेाजनान्तर्गत 5 चक्रों का उपार्जन पूर्ण किया जा चुका है।

❖ चिकित्सकों/पैराकर्मियों की क्षमता/दक्षता वृद्धि हेतु प्रदेश भर में विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में दृष्टिकोण परिवर्तित करने, परियोजना घटकों का ज्ञान कराने, कम्प्यूटर उपयोग का आरम्भिक ज्ञान तथा समीक्षा एवं मूल्यांकन की कला एवं दक्षतावृद्धि पर विभिन्न प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। प्रदेश भर के लगभग 6791 से अधिक चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को क्लीनिकल ट्रेनिंग दी गयी है।

❖ दूरस्थ/दुर्गम ग्रामीण अंचलों के रहने वाले निर्धनतम व्यक्ति तक उत्तम सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस विशेषज्ञ सेवा "माह जनवरी 2001 से प्रारम्भ की गयी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवस पर 7 विशेषज्ञों (सर्जन फिजीशियन, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलाजिस्ट, बाल रोग, स्त्री रोग एवं दन्त रोग) का दल निर्दिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुॅच कर ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराते है।

❖ प्रत्येक चिकित्सा इकाई में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं के विषय में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु 'नागरिक चार्टर बनाया गया है, जो प्रदेश की प्रत्येक चिकित्सा इकाई में प्रदर्शित

किया गया है। इस चार्टर के माध्यम से उपलब्ध चिकित्सक/ पैराकर्मी, सेवा–सुविधायें, समय, आकस्मिक उपचार, शिकायतों का निस्तारण तथा यूजर चार्जेज की पारदर्शिता सुनिश्चित की गयी है।

❖ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के गुणवत्तापरक विकास के लिये सेवाओं में गुणवत्तावृत्त व टोटल क्वालिटी मैंनेजमेन्ट की धारणा को समाहित करने पर परियोजना द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्रम में प्रदेश के 09 चिकित्सालयों क्रमशः जिला चिकित्सालय (पुरूष व महिला), कानपुर, जिला चिकित्सालय (पुरूष व महिला), उन्नाव, जिला चिकित्सालय (पुरूष व महिला) बाराबंकी, जिला चिकित्सालय (पुरूष व महिला), गोण्डा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, उन्नाव एवं झलकारीबाई हास्पिटल, लखनऊ में गुणवत्ता वृत्त स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आच्छादित 48 चिकित्सा इकाईयों में आंतरित प्रशिक्षकों द्वारा क्वालिटी सर्किल की धारणा को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

❖ चिकित्सा सेवाओं में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चत करने के लिए सरकारी–निजी क्षेत्रों की सहभागिता से न्यूनतम सेवा स्तर बनाने पर विशेष बल दिया गया है।इस क्रम में सरकारी – निजी चिकित्सा सेवा संवाद समिति गठित की गयी है । इस समिति के द्वारा उ0प्र0 मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स (रजिस्ट्रेशन एवं एक्रीडिटेशन) एक्ट का माडल ड्राफ्ट तैयार कर शासन के माध्यम से विधि विभाग को विधिक परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

❖ प्रदेश की जनता को कम दरों पर अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम बार "मास्टर स्वास्थ्य परीक्षण योजना" का शुभारम्भ बलरामपुर, चिकित्सालय, लखनऊ एवं उर्सला चिकित्सालय, कानपुर में किया गया है। योजना के अन्तर्गत एक ही स्थान पर एक ही दिन में सम्पूर्ण शारीरिक जांच सुविधा (ई0सी0जी0, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स–रे व रक्त परीक्षण) जन सामान्य को चिकित्सालय के विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। योजना अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराकर मास्टर हेल्थ कार्ड प्राप्त कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को पंजीकरण शुल्क रू0 325/– तथा दम्पत्ति को रू0 600/– देना होगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (सफेद राशन कार्ड धारकों) को इस हेतु रू0 35/– तथा ऐसे दम्पत्तिं को रू0 60/– देना होगा। यह पंजीकरण शुल्क केवल प्रथम बार देय होगा एवं पंजीकरण कार्ड पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा तथा लाभार्थी को इस अवधि में चिकित्सालय में आने पर पुनः पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

❖ 28 आच्छादित जनपदों में स्वयं सेवी संस्थओं के माध्यम से दुर्गम, दूरस्थ, तथा असेवित क्षेत्रों में विशेष कर गरीब तथा महिलाओं को सीमित उपचारात्मक एवं रोग नियंत्रक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है।

❖ जन सामान्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 5 मीडिया माध्यमों से विस्तृत आई0ई0सी0 कार्यक्रम चलाया गया ।

❖ चिकित्सा इकाईयों में कूडे–कचरे के प्रबंधन एवं निस्तारण 10 सी0टी0एफ0 लगाये जा चुके हैं लगाये गये 10 सी0टी0एफ0 में से 8 सी0टी0एफ0 क्रियाशील किये जा चुके हैं।

❖ समस्त 70 जिलों की चिकित्सा इकाईयों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

❖ लोहिया अस्पताल के एक्रेडीशन की गयी गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। लोहिया चिकित्सालय में फाइनल एसेसमेंट के उपरान्त एक्रेडीशन साटीफिकेट प्राप्त किया जाना है। बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, टी0बी0 सपरू चिकित्सालय इलाहाबाद, संजयनगर अस्पताल गाजियाबाद, जिला चिकित्सालय बहराइच एवं बांदा का एक्रेडीशन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इन चिकित्सालयों की फिजीबिल्टी स्टेडी कराई जा चुकी है।

❖ मातृत्व–मृत्यु आडिट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

❖ परियोजनान्र्गत स्थापित उपकेन्द्रो एवं ए0पी0एस0सी0 में 200 डिलीवरी कक्षों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

❖ परियोजनान्तर्गत परियेाजना आच्छादित 28 जिलों में 344 वेस्ट स्टोर कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है।

❖ परियोजना के 4 पायलट जनपदों में सफाई का कार्य निजी सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा है।

❖ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 11 पायलेट जनपदों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम को कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण उपरान्त प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष 59 जिलों में उक्त सिस्टम को लागू कराया जा रहा है।

❖ पायलट जनपद बहराइच एवं बंदायॅू में सिविल निर्माण के पैकेजों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा बांदा एवं मैनपुरी के 4 पैकजों का कार्य सीमित अवधि होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

❖ चिकित्सालयों की आवश्यकतानुसार उपकरणों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

❖ परियोजनान्तर्गत 4 पायलट जनपदों (बांदा, बंदायॅू, मैनपुरी एवं बहराइच) में विभिन्न जन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी योजनायें चलायी जा रही है।

❖ स्कूल हेल्थ की पायलट योजना को पूर्ण किया जा चुका है।

❖ कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली महानिदेशालय में लागू की जा चुकी है।

❖ प्रदेश के समस्त 70 जिलों में कम्प्यूटरीकृत कार्मिक सूचना प्रणाली लागू की जा चुकी है।

❖ परियोजना के विभिन्न इनपुट्स से परियोजनांतर्गत चिकित्सा इकाईयों में परियोजना के परफारर्मेंस इण्डीकेटर्स में सुधार दृष्टिगत हो रहा है।

❖ वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में प्रावधान हेतु रू0 5.00 करोड़ पूंजीगत मद में एवं रू0 20.00 करोड़ राजस्व मद में प्रस्तावित है। परियोजना 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। माह जून, 2009 तक परियोजना पर कुल व्यय रू 385.24 करोड़ के सापेक्ष रू 385.24 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। परियोजना के फॉलोआन प्रोजेक्ट पर अभी केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2009–10 की कार्य योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के उपरान्त तैयार की जानी है।

3. उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना–प्रथम

यह परियोजना सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यान्वित है। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का गठन निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर किया गया है :–

1. प्रदेश में एक संस्थागत व नीतिगत ढांचा स्थापित करना जिससे वाटर सेक्टर का पुनर्गठन कर जल संसाधनों की एकीकृत प्रबंधन व्यवस्था लागू की जा सके।
2. प्रदेश में सिंचाई व जल निकास क्षेत्र का पुनरोद्धार करना जिससे जल व कृषि की उत्पादकता को इष्टतम् स्तर तक बढ़ाया जा सके।

घाघरा–गोमती बेसिन क्षेत्र के 'वाटर सेक्टर' के पुनर्गठन हेतु परियोजना चार चरणों में 12 से 15 वर्ष की अवधि में प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान में प्रथम चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण की पुनरीक्षित लागत रू0 678.91 करोड़ है तथा इसे 323 हजार हेक्टेयर में लागू किया जाना है। प्रथम चरण की पुनरीक्षित अवधि 31.10.2009 को समाप्त हो रही है। परियोजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30.06.2010 (कार्यो हेतु) तक तथा

दिनांक 31.10.2010 (प्रतिपूर्ति हेतु) तक समयवृद्धि हेतु प्रकरण जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

परियोजना में निम्न घटकों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है :–

(ए) संस्थागत संरचनाओं का सृजन तथा बहु–क्षेत्रीय जल संसाधन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता का निर्माण ।
(बी) सिंचाई विभाग का सुधार तथा क्षमता निर्माण।
(सी) सिंचाई तथा जल–निकासी कार्यवाहियों के लिए सुधार विकल्पों का पायलट कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वयन।
(डी) सिंचाई प्रबन्धन में सुधार कार्यक्रमों के लिए पायलट कार्यक्रम।
(ई) द्वितीय चरण के लिए परियोजना ग्राहिता अध्ययन एवं तैयारी की गतिविधियां।
(एफ) परियोजना क्रियान्यवन अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।

परियोजना की प्रगति –परियोजना में अवतक कराये गये कार्यो की घटकवार भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत है –

(ए) संस्थागत संरचनाओं का सृजन तथा बहु–क्षेत्रीय जल संसाधन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता का निर्माण

- स्टेट वाटर रिसोर्स एजेन्सी (स्वारा), स्टेट वाटर रिसोर्सेज डेटा एण्ड एनालॉसिस सेन्टर (स्वारडेक) संस्थाये कार्यशील हैं।
- यू0पी0 वाटर मैनेजमेंट एण्ड रेगुलेटरी कमीशन (यूपीवामरैक) ऐक्ट लागू है एवं अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।
- जनप्रतिनिधियों, जल उपभोक्ताओं एवं किसानों की भागीदारी जल प्रबन्धन एवं जल संसाधन नियोजन में सुनिश्चित करने के लिए जौनपुर ब्रान्च सब बेसिन डेवेलप्मेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट बोर्ड (JBSDMB) का गठन किया गया है।
- उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अर्न्तगत ''घाघरा– गोमती बेसिन सामाजिक एवं पर्यावरर्णीय अध्ययन'' का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य बेसिन क्षेत्र के सामाजिक एवं पर्यावरर्णीय आधारभूत आकड़ों का चिन्हन एवं उनका बेसिन क्षेत्र में प्रभाव इंगित कर ''सामाजिक एवं पर्यावरर्णीय मैनेजमेन्ट प्लान'' बनाना है तथा समग्र रुप से जल सम्पदा के उपयोग हेतु यथोचित ''गाइडलाइन'' बनाना है जो पर्यावरर्णीय दृष्टि से उपयुक्त हो एवं सामाजिक विकास मे सहायक हो।
- घाघरा–गोमती बेसिन प्लान तैयार करना तथा निर्णय लेने हेतु डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

(बी) सिंचाई विभाग का सुधार तथा क्षमता निर्माण

- सिंचाई विभाग में मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) का कार्य प्रगति पर है। इससे विभाग के समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से त्वरित गति से किये जा सके एवं क्षेत्र के कृषक लाभान्वित हो सके, जिसके लिए सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय से खण्डीय कार्यालय तक कुल 2000 कम्प्यूटर (यू.पी.एस. प्रिन्टर सहित) की स्थापना की जा रही है तथा विभाग के 550 अधिकारियों के ई–मेल आई.डी. बनाये जा चुके हैं।

विभाग के एम0आई0एस0 कार्यो हेतु केन्द्रीय स्तर पर सर्वर आदि स्थापित करने हेतु डाटा सेन्टर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसके अन्तर्गत पावर सप्लाई, ए0सी0, स्मार्ट कार्ड एवं बायोमिट्रिक कार्ड द्वारा प्रोटेक्शन तथा फायर मैनेजमेन्ट की व्यवस्था के कार्य पूर्ण हो चुके है।

- उ0प्र0 सिंचाई विभाग में वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना हेतु 148 लोकेशनों को कनेक्ट किया जा चुका है। अगले चरण के 40 लोकेशनों को कनेक्ट करने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है।
- उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के सरकारी भवनों में स्थापित समस्त कार्यालयों (188 साइटों पर) में लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- परियोजना के प्रारम्भ से माह जुलाई 2009 तक कुल लगभग 4918 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 12 अधिकारी उच्च शिक्षा 70 अधिकारियों को कैनाल मार्डनाइजेशन Rap Massottee तथा 77 अधिकारियों को जी0आई0एस0 प्रशिक्षण दिलाया गया। 1895 कर्मचारियों को बेसिन कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया जा चुका है।
- सिंचाई विभाग की पुनर्गठन एवं पुर्नसंरचना अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है।

(सी) सिंचाई तथा जल–निकासी कार्यवाहियों के लिए सुधार विकल्पों का पायलट कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वयन

- परियोजना क्षेत्र में जौनपुर शाखा पर 4679 कुलाबा जल उपभोक्ता समितियों का गठन हो चुका है तथा उनके प्रतिनिधियों से 421 जल उपभोक्ता समितियॉ गठित, पंजीकृत एवं कार्यशील हैं। वर्ष 2004–05 से इनके द्वारा अल्पिकाओं के अनुरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं।
- परियोजना क्षेत्र के 6.07 लाख हेक्टेअर क्षेत्र का फील्ड सर्वेक्षण कार्य एवं डिजाइन कंसलटेंट द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरान्त जौनपुर एवं हैदरगढ़ ब्रान्च कैनाल के पुनर्स्थापना कार्यो से सम्बन्धित सिविल कार्य पूर्णतः की ओर।
- परियोजना क्षेत्र में भूजल स्तर के अनुश्रवण हेतु 884 पीज़ो मीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है, जिन पर 500 आटोलेवल रिकार्डरस् की स्थापना भी हो चुकी है तथा आंकडे संकलित किये जा रहे हैं।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण कार्यक्रम अर्न्तगत परियोजना क्षेत्र की समस्त अल्पिकाओं पर कृषकों को सहभागी एवं सहयुक्त जल प्रबन्धन से संज्ञानित किया जा रहा है। विभिन्न फसलों की खेती के उन्नत प्रदर्शन कराये जा रहे हैं। कराये गये इन प्रदर्शनों से धान एवं गेहूँ की परम्परागत खेती के सापेक्ष उन्नत खेती के अर्न्तगत धान एवं गेहूँ की खेती से क्रमषः 40 एवं 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज लिये जाने की सम्भावनायें स्थापित हो सकीं हैं। जायद में अन्य फसलों के साथ विषेष रूप से दलहनी फसलों यथा मूँग एवं उर्द की खेती

करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषकों की क्षमता का विकास किये जाने के दृष्टिगत कराये जा रहे उन्नत प्रदर्षनों पर प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन, यथा आवश्यक अभियानों का आयोजन, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन एवं विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण आदि का आयोजन कराया जा रहा है।

- प्रदेश में सहभागी सिंचाई प्रबंधन ऐक्ट लागू। इस ऐक्ट के द्वारा सिंचाई के प्रबंधन संचालन एवं जल वितरण में जल उपभोक्ता समितियों के माध्यम से कृषकों की सहभागिता एवं स्वायतता सुनिश्चित हो सकेगी।
- नहरों की पुनर्स्थापना के अन्तर्गत कुल 2555 किमी0 लक्ष्य के सापेक्ष 2544 किमी0 में नहरों के आन्तरिक सेक्शन में मिट्टी का कार्य पूर्ण। 2232 पक्के कार्य पूर्ण एवं 385 पक्के कार्य प्रगति पर।
- नालों की पुनर्स्थापना के अन्तर्गत कुल 2460 किमी0 लक्ष्य के सापेक्ष 2355 किमी0 में मिट्टी के कार्य पूर्ण। 383 पक्के कार्य पूर्ण एवं 24 पक्के कार्य प्रगति पर।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पैक्ट एवं हैदरगढ़ चीनी मिल के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित एवं कार्य प्रगति पर।

(डी) सिंचाई प्रबन्धन में सुधार कार्यक्रमों के लिए पायलट कार्यक्रम

- नम भूमि संरक्षण एंव विकास कार्यक्रम संचालित कर परियोजना के तालाबों एवं झीलों में मत्स्य पालन किया जा रहा है। प्रत्येक जल क्षेत्र में फिश फार्मर ग्रुप का गठन व क्रियान्वयन।

(ई) द्वितीय चरण के लिए परियोजना ग्राहिता अध्ययन एवं तैयारी की गतिविधियां

- द्वितीय चरण हेतु कांसेप्ट पेपर तैयार कर जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

(एफ) परियोजना क्रियान्यवन अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

- परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य कराये जा रहे हैं।

वित्तीय प्रगतिः–

परियोजना के प्रारम्भ से माह मई 2010 तक रू 624.88 करोड़ के सापेक्ष रू 577.71 करोड़ का व्यय किया जा चुका है जिसमें से प्रतिपूर्ति योग्य अंश रू 469.17 करोड़ है। अब तक रू 417.23 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

परियोजना से लाभ :

परियोजना के पूर्ण होने पर निम्न लाभ होने का अनुमान है :–

मद	ईकाई	लाभ
सिंचित क्षेत्र में बृद्धि	हैक्टेयर	106275
सतही स्त्रोत से सिंचाई के स्थान पर भूजल द्वारा सिंचाई	हैक्टेयर	95,927
फार्म हाउस होल्ड जिन्हें सीधे लाभ होगा	संख्या	498,175

मद	ईकाई	लाभ
फार्म हाउस होल्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगें	संख्या	46781
उत्पादन में वृद्धि		
अनाज	टन प्रतिवर्ष	172162
गन्ना		1009531
सरसों आदि		15091
चना		13974
फल		69432
सब्जियां		46461
मछली		341
पशुधन में वृद्धि	संख्या	21140
उत्पादन वृद्धि से कुल लाभ	बिलियन रू.	1323
ग्रामीण रोजगार सृजन	रोजगार प्रति वर्ष	21770